



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237639
CG-DL-E-28072022-237639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3263]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3425अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा-1 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5235(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के चतरा जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-99 के कि.मी. 61.00 से कि.मी. 79.00 तक में पेन्ड सोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन कार्य के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21.12.2021 को "हिन्दुस्तान" और 21.12.2021 को "नया इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा-3घ की उपधारा ;1द्ध के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के चतरा जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ सं. -99 के कि.मी. 61.00 से कि.मी. 79.00 तक में पेम्ड सोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन कार्य के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: चतरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिमरिया				
	गांव का नाम: अरसेल				
1	808	निजी(रैयती)	टांड	0.0598948	साहेब महतो एवं अन्य ([object Object])
2	809	निजी(रैयती)	टांड	0.0667746	गणेश तेली एवं अन्य (809)
	गांव का नाम: हुंकारखाप				
3	216	निजी(रैयती)	टांड मय चहारदीवारी	0.1954674	जागेश्वर राय व अन्य (216)
	गांव का नाम: कसारी				
4	203	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0214488	रहीम मियां, सुभान मियां एवं अन्य (203)
5	213	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0202347	बूटनी देवी, सावन गंडू एवं अन्य (213)
6	217	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0161878	सुभान मियां एवं अन्य (217)
7	228	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0176042	रामधन गंडू एवं अन्य (228)
8	254	निजी(रैयती)	टांड	0.0060704	सावन गंडू एवं अन्य (254)

9	256	निजी(रैयती)	टांड	0.0141643	मो. इसहाक एवं अन्य (256)
10	272	निजी(रैयती)	टांड	0.0080939	इंदु मियां एवं अन्य (272)
11	273	निजी(रैयती)	टांड	0.0263051	कादिर मियां एवं अन्य (273)
12	278	निजी(रैयती)	टांड	0.014569	महादेव गंडू एवं अन्य (278)
13	290	निजी(रैयती)	टांड	0.0148523	सलामत मियां एवं अन्य (290)
14	291	निजी(रैयती)	टांड	0.0084986	सलामत मियां एवं अन्य (291)
15	293	निजी(रैयती)	टांड	0.0117361	सुभान मियां एवं अन्य (293)
16	298	निजी(रैयती)	टांड	0.0364225	कविलाश गंडुनी एवं अन्य (298)
17	299	निजी(रैयती)	टांड	0.0161878	मुई मियां एवं अन्य (299)
18	305	निजी(रैयती)	टांड	0.0121408	फिदु जोल्हा एवं अन्य (305)
19	308	निजी(रैयती)	टांड	0.072845	रहीम मियां एवं अन्य (308)
20	312	निजी(रैयती)	टांड	0.0663699	रहीम मियां, इब्राहिम मियां एवं अन्य (312)
			कुल	0.705868	

[फा. सं. RW/Ranchi/Widening & strengthening/construction of Bridges on NH-99/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3425(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O 5235 dated (E) published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 99 on the stretch of land from Km 61.00 to Km. 79.00 (DLAO, Chatra Section) of the National Highway No.-99 for upgradation to 2-lane with paved shoulder in the State of Jharkhand.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hindustan**” dated the **21.12.2021** and “**New India**” dated **21.12.2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from the stretch of land from Km. 61.00 to Km. 79.00 (DLAO, Chatra Section) of the National Highway No.-99 for upgradation to 2-lane with paved shoulder in the State of Jharkhand.

State: JHARKHAND		District: CHATRA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Simaria				
	Village: Arsel				
1	808	Private(Raiyati)	Tand	0.0598948	Saheb Mahto & Others
2	809	Private(Raiyati)	Tand	0.0667746	Ganesh Teli and Others 809
	Village: Hankarhap				
3	216	Private(Raiyati)	Tand may Chardiwari	0.1954674	Jageshwar Rai and Others 216
	Village: Kasari				
4	203	Private(Raiyati)	Dhan Khet	0.0214488	Rahim Miyan, Subhan Miyan and Others 203
5	213	Private(Raiyati)	Dhan Khet	0.0202347	Butni Devi, Savan Ganjhu and Others 213
6	217	Private(Raiyati)	Dhan Khet	0.0161878	Subhan Miyan and Others 217
7	228	Private(Raiyati)	Dhan Khet	0.0176042	Ramdhan Ganjhu and Others 228
8	254	Private(Raiyati)	Tand	0.0060704	Savan Ganjhu and Others 254
9	256	Private(Raiyati)	Tand	0.0141643	Md. Ishak and Others 256
10	272	Private(Raiyati)	Tand	0.0080939	Indu Miyan and Others 272
11	273	Private(Raiyati)	Tand	0.0263051	Kadir Miyan and Others 273

12	278	Private(Raiyati)	Tand	0.014569	Mahadev Ganjhu and Others 278
13	290	Private(Raiyati)	Tand	0.0148523	Salamat Miyan and Others 290
14	291	Private(Raiyati)	Tand	0.0084986	Salamat Miyan and Others 291
15	293	Private(Raiyati)	Tand	0.0117361	Subhan Miyan and Others 293
16	298	Private(Raiyati)	Tand	0.0364225	Kavilash Ganjhuni and Others 298
17	299	Private(Raiyati)	Tand	0.0161878	Muee Miyan and Others 299
18	305	Private(Raiyati)	Tand	0.0121408	Fidu Jolha and Others 305
19	308	Private(Raiyati)	Tand	0.072845	Rahim Miyan and Others 308
20	312	Private(Raiyati)	Tand	0.0663699	Rahim Miyan, Ebrahim Miyan and Others 312
			TOTAL	0.705868	

[F. No. RW/Ranchi/Widening & strengthening/construction of Bridges on NH-99/3D]

RAJESH GUPTA, Director